न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **संयोगिता (आर.जे.एस)**

रे.फौ. प्रकरण संख्या – 213/2023 (CIS No. 213/2023)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 23/2023 पुलिस थाना–धमोतर

राजस्थान राज्य बनाम ईश्वरलाल उर्फ कारू

अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959

भाग–प्रथम

A

परिवादी	अमृतलाल, तत्कालीन स.उ.नि. पुलिस थाना धमोतर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा, तत्समय उम्र–36 साल, निवासी–मोगजीकुड़ी, पुलिस थाना–धमोतर, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री विकास पाटीदार, अभियुक्त की ओर से
अभियोजन अधिकारी	श्री नारायणलाल
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	27.01.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.01.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.02.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	14.02.2023
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	19.04.2023
साक्ष्य अभियोजन समाप्त किये जाने की दिनांक	29.07.2026
बयान मुल्ज़िम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	29.07.2026
बहस अंतिम की दिनांक	07.08.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	––
निर्णय दिनांक	11.08.2026

C

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	आरोपित आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 सीआरपीसी
1	ईश्वरलाल उर्फ कारू	27.01.2023	31.01.2023	4/25 आयुध अधिनियम	दोषसिद्ध	धारा 4 व धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया।	5 दिवस

भाग – द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान् की सूची

अ–अभियोजन गवाह (PW)

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
PW 1.	मनोज	चश्मदीद साक्षी
PW 2.	सीता	चश्मदीद साक्षी
PW 3.	अमृतलाल	एफ.आई.आर. कर्ता साक्षी
PW 4.	गोमसिंह	चश्मदीद साक्षी
PW 5.	हिम्मत दान	अनुसंधान कर्ता साक्षी
PW 6.	किशनलाल	चश्मदीद साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01	प्रदर्श पी– 1	फर्द जप्ती तलवार

02	प्रदर्श पी–	2	फर्द गिरफ्तारी ईश्वरलाल उर्फ कारू
03	प्रदर्श पी–	3	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी–	4	तहरीरी रिपोर्ट
05	प्रदर्श पी–	5	रोजनामचा रपट
06	प्रदर्श पी–	6	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
07	प्रदर्श पी–	7	चाक एफ.आई.आर.
08	प्रदर्श पी–	8	पुलिस बयान किशनलाल
09	प्रदर्श पी–	8	मालखाना नकल

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नम्बर**	**विवरण**
--	--	--

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नम्बर**		**विवरण**
--	--		--

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	**भौतिक वस्तु नम्बर**		**विवरण**
--	--	--	--

निर्णय दिनांक 11.08.2026

01– हस्तगत प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना धमोतर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 के अपराध में आरोप पत्र दिनांक 14.02.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर हुआ।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं, कि दिनांक 27.01.2023 को अमृतलाल, तत्कालीन स.उ.नि. पुलिस थाना धमोतर ने थानाधिकारी पुलिस थाना धमोतर के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.01.2023 को थाने पर जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि मौजा मोगजीकुड़ी में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे की धारधार नंगी तलवार लेकर घूम रहा है तथा हाथ में नंगी तलवार को लहराते हुये आने–जाने वाले राहगीरों को डरा–धमका अपनी पत्नी के साथ लड़ाई–झगड़ा कर रहा है। वगैरह सूचना पर वह मय जाप्ता कॉन्स्टेबल गोमसिंह नं. 734, कॉन्स्टेबल मनोज नं. 598 मय जीप सरकारी मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री के समय 6.09 पी.एम. पर थाने से रवाना हो समय 6.30 पी.एम. पर मौजा मोगजीकुड़ी पहुंच आमदा सूचना बाबत् राहगीरों से पूछताछ करता हुआ सीता के मकान के पास पहुंचा, जहाँ एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगी धारदार तलवार

को आम रास्ते पर लहराता हुआ नजर आया, जो आने–जाने वाले राहगीरों को मार देने की धमकियां देता हुआ, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई–झगड़ा कर रहा था। उक्त व्यक्ति को उसने मय जाप्ता विश्वास में लेकर पकड़ा व उसके हाथ से तलवार अपने कब्जे में लेकर उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वरलाल उर्फ कारू होना बताया। उक्त व्यक्ति से सार्वजनिक स्थान पर धारदार लोहे की नंगी तलवार अपने कब्जे में रखकर घूमने के लाईसेंस बाबत् पूछा तो नहीं होना बताया। ईश्वरलाल का उक्त कृत्य धारा 4/25 आयुध अधिनियम की श्रेणी में आने से मौके से स्वतंत्र गवाह सीता पत्नी ईश्वरलाल व किशनलाल पिता कचरू को मौतबीर मामूर कर ईश्वरलाल उर्फ कारू के कब्जे से प्राप्तशुदा तलवार को जरिये फर्द जप्त कर कब्जेशुदा तलवार का नाप किया तो तलवार के मुठ से फल की लंबाई 27 इंच, मुठ की लंबाई 04 इंच व धारदार फन की लम्बाई 23 इंच व चौड़ाई 2 इंच होना पाई गई। मौके पर जरिये फर्द जप्त कर चिटचस्पा किया गया। अभियुक्त को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ...इत्यादि।

03– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना धमोतर पर प्रकरण संख्या 23/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया ।

04– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 के अपराध की विशिष्ठियां पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

05– साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित गवाहान् की सूची एवं प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण उपर्युक्तानुसार भाग–द्वितीय की तालिका में अंकित किया गया है।

06– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 351 BNSS लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा झूंठे कथन करना और स्वयं को निर्दोष होना बताकर प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नही चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान निवेदन किया कि यह प्रकरण पुलिस ने झूँठा अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ये प्रकट होता है की पुलिस ने सभी कार्यवाही थाने में बैठकर की है। जिस स्थान से जब्ती करना बताया है वह आम सार्वजनिक स्थान है किन्तु इसके पश्चात भी कोई स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाया गया है एवं किसी स्वतंत्र मौतबीर के अभाव में केवल पुलिस कर्मियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

08– उभय पक्षकारों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नांकित हैः–

(1) क्या दिनांक 27.01.2023 को समय सायं करीब 6.30 पी.एम. पर सरहद मौजा मोगजीकुड़ी, थाना–धमोतर में सीता के मकान के पास आम रास्ते पर अपने अनन्य एवं सचेतन आधिपत्य में एक नंगी धारदार तलवार, जिसे धारदार फल की लंबाई 23 इंच, मुठ की लम्बाई 4 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच थी, को अवैध रूप से बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति/लाईसेंस/परमिट के अपने आधिपत्य में रखा, जो कि अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद की गई ?

(2) यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो अभियुक्त के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?

09– उपरोक्त बिन्दुओं को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में कुल 6 गवाहान परीक्षित करवाये गये है। हस्तगत प्रकरण परिवादी अमृतलाल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पी–1 पर संस्थित हुआ है, जिसमें वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु अभियोजन की ओर से **परिवादी अमृतलाल को पी.डब्ल्यू–3** के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 27.01.2023 को थाना धमोतर में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन जरिये टेलिफोन सूचना मिली की गाँव मोगजी की कुडी में एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर आने–जाने वाले लोगों को लहराता हुआ डरा धमका रहा है। सूचना पर वह एएसआई अमृतलाल मय जाप्ता कॉन्स्टेबल गोमसिंह, मनोज मय सरकारी जीप मय अनुसंधान सामग्री के थाने से समय 6.09 पीएम पर रवाना होकर समय 6.30 पीएम पर गॉव मोगजी की कुडी पर पहुंचे। वहाँ राहगीरों से पूछताछ कर श्रीमती सीता के मकान पर पहुंचे, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे की नंगी तलवार लेकर घूम रहा था। रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों को डरा–धमका कर मार देने की धमकी दे रहा था, जिस पर उसने व जाप्ता ने उक्त व्यक्ति के कब्जे से तलवार को पुलिस कब्जे ली गई। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा होना बताया। अपने कब्जे में रखी तलवार को सार्वजनिक स्थान पर लहराने बाबत् कोई वैध लाईसेंस या दस्तावेज बाबत् पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर स्वतंत्र गवाह श्रीमती सीता पत्नी ईश्वरलाल व किशनलाल पिता कचरू को मौतबीर मामुर किया। मौतबीरान् के समक्ष तलवार का नाप किया तो तलवार के फल की लम्बाई 23 इंच, मुठ की लम्बाई 04 इंच, चौडाई 02 इंच, कुल तलवार की लम्बाई 27 इंच को जरिये फर्द जप्त की गई, जो प्रदर्श पी–1 है। मुल्जिम ईश्वरलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण प्रदर्श पी–03 है। मौके पर संपूर्ण कार्यवाही कर मय जप्त शुदा तलवार व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के थाने पर आकर उसके द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 दर्ज कराई गई। रवानगी रपट प्रदर्श पी–5 व सरकार द्वारा जारी अधिसुचना प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–7 है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मौके पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी कि अभियुक्त द्वारा उन्हें तलवार से डराया व भयभीत किया हो।

10– इसी क्रम में जाप्ते में शामिल सदस्य **गवाह पी.ड. 1 मनोज व पी.ड. 4 गोमसिंह** ने जप्तीकर्ता अमृतलाल पी.ड. 3 के बयानों के अनुसार कथन करते हुये बताया कि वे दिनांक 27.01.2025 को थाना धमोतर पर तैनात थे। उस दिन सूचना पर वे, ए.एस.आई. अमृतलाल के साथ सरकारी जीप से थाने से रवाना होकर समय 6.30 पी.एम. पर भोगजी कुड़ी पहुंचे, वहाँ पर

राहगीरों से पूछताछ करते हुये सीता मीणा के मकान के पास पहुंचे, जहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में नंगी लोहे की धारदार तलवार को हवा में लहराते हुये नजर आया, जो आने–जाने वालों को डरा रहा था तथा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था, जिस पर जाप्ते द्वारा उसे पकड़ा गया। तलवार को अपने कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वरलाल उर्फ कारू होना बताया। उससे तलवार को जप्त कर स्वतंत्र मौतबीर होने से उनकी उपस्थिति में तलवार का नाप किया तो तलवार के फल की लम्बाई 23 इंच, हत्थे की लंबाई 4 इंच व फल की चौड़ाई 2 इंच कुल लम्बाई 27 इंच होना पायी गई। उक्त तलवार को मौके पर जप्त कर चिटचस्पा किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रतिपरीक्षण में गवाहान् ने कथन किया कि मौके पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी कि अभियुक्त द्वारा उन्हें तलवार से डराया व भयभीत किया हो।

11– इसी क्रम में फर्द जप्ती तलवार के **स्वतंत्र गवाह पी.ड. 2 सीताबाई** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसका पति शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा करता था। उसके साथ लकड़ी पत्थर लेकर लड़ाई–झगड़ा करता था। इस बात को लेकर पुलिस ईश्वर को पकड़कर ले गई थी। उसे ओर कुछ नहीं पता। गवाह ने प्रदर्श पी–1, 2, 3 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है और हस्ताक्षर पुलिस के कहने से करना बताया है। **उपर्युक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में गवाह को स्वयं अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने प्रतिपरीक्षण द्वारा अभियोजन अधिकारी** गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके पति ईश्वर से तलवार जप्त की हो और पुलिस ने तलवार जप्त करके उसके गिरफ्तार किया हो। **जिरह** में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा कि उसके सभी फर्दों पर हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे।

12– इसी प्रकार फर्द जप्ती तलवार के अन्य **स्वतंत्र गवाह पी.ड. 6 किशनलाल** ने भी इसी प्रकार के कथन करते हुये बताया कि अभियुक्त ईश्वरलाल उसके जीजाजी लगते हैं। उसके जीजाजी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की उसे कोई जानकारी नहीं है। ना ही पुलिस ने उसके समक्ष ईश्वरलाल से कोई तलवार जप्त की थी और ना ही उसके समक्ष गिरफ्तार किया था। उसके सामने पुलिस ने प्रकरण के घटनास्थल की कोई फर्द नहीं बनाई थी और ना ही उसके बयान लिये थे। गवाह ने फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। **उपर्युक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इस गवाह को भी स्वयं अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने प्रतिपरीक्षण द्वारा अभियोजन अधिकारी** गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि दिनांक 27.01.2023 के उसके समक्ष कोई कार्यवाही की हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी भाग भी पुलिस को लिखाये जाने से इंकार किया है।

13– अंत में प्रकरण के अनुसंधानकर्ता गवाह पी.ड. 5 हिम्मतदान ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 27.01.2023 को थाना धमोतर में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 23/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अनुसंधान थानाधिकारी भानुप्रताप सिंह जी ने उसके जिम्मे किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी व गवाहान के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 28.01.2023 को घटना स्थल पहुंच प्रार्थी की निशादेही से घटना स्थल नक्शा मौका रूबरू गवाहान के बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की थी, जो प्रदर्श पी–8 है। राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना प्रदर्श पी–6 है। प्रार्थी

द्वारा पेश कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–4, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–7 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा के खिलाफ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिन्होंने चार्जशीट कता कर चालान न्यायालय में पेश किया।

14– इस प्रकार उपर्युक्त समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण करें तो अभियुक्त पर अपने आधिपत्य में धारदार तलवार को बिना अनुज्ञप्ति पर रखने का आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में जप्तीकर्ता पी.ड. 3 अमृतलाल व पुलिस जाप्ते के अन्य गवाह पी.ड. 4 गोमसिंह व पी.ड. 1 मनोज ने अपने–अपने बयानों में जरिये टेलीफोन सूचना मिलने पर कि मोगजीकुडी में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे की धारदार नंगी तलवार लेकर घूम रहा है तथा अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ए.एस.आई. अमृतलाल के साथ गाँव मोगजीकुड़ी जाना, जहाँ सीता मीणा के मकान के पास एक व्यक्ति द्वारा हाथ में धारदार नंगी तलवार लेकर लोगों को डराने–धमकाने का कथन करते हुये बताया कि उनके द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा होना बताया, जिस पर स्वतंत्र मौतबीर सीता व किशनलाल के समक्ष उक्त व्यक्ति से तलवार को जप्त किया गया। प्रकरण में परीक्षित उपर्युक्त पुलिस जाब्ते के सदस्यों ने अभियुक्त के सचेतन कब्जे से नंगी धारदार तलवार का जब्त होना बताया है, जिसे अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता हो। उक्त गवाहों ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उनके सामने तलवार जप्त की गई थी।

15– इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि उपर्युक्त परीक्षित तीनों ही साक्षीगण पुलिसकर्मी है, इस कारण उक्त गवाह परस्पर हितबद्ध साक्षी है, जिनकी साक्ष्य पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है और अभियोजन कहानी संदेह के घेरे में आती है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिनमे ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है की:–

1. **AIR** 2007 **SCW** 5569

   Girija Prasad (dead) by LRs v/s State of Madhya Pradesh

2. (2015) 4 **MLJ** (**Cri**) 46 **SC**

   Baldev singh v/s State of Haryana

"There is no legal preposition that evidence of police officials unless supported by independent evidence is unworthy of acceptance. Evidence of police witness cannot be discarded merely on the ground that they belong to police force interested in investigation and their desire to see the success of the case. Prudence however requires that the evidence of police officials who are interested in the outcome of result of case needs to be carefully scrutinized & independently appreciated. Mere fact that they are police officials does not by itself give rise to any doubt about their credit worthiness."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय का विनम्र मत यह है की अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया तर्क की प्रकरण में हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, का कोई भी विपरीत प्रभाव अथवा दुष्प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ता है क्योंकि न्यायालय के समक्ष लेश मात्र भी ये तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ है कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस वालों के द्वारा किसी द्वेषता पूर्ण भाव से कार्यवाही की गयी हो। स्वयं अभियुक्त द्वारा भी न्यायालय के समक्ष ये स्पष्ट नहीं किया गया है की किसी पुलिस कर्मी अथवा पुलिस विभाग से रंजिश होने के कारण उसके विरुद्ध यह झूठा प्रकरण पेश किया गया हो।

16– इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्त के कब्जे से जप्त तलवार की फर्द के साक्षीगण पी.ड. 2 सीता व पी.ड. 6 किशनलाल ने उक्त फर्द की पुष्टि अपने बयानों में नहीं की है। अतः अभियुक्त से तलवार की जप्ती साबित नहीं है। इस संबंध में यह सही है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 के स्वतंत्र साक्षीगण पी.ड. 2 सीता व पी.ड. 6 किशनलाल ने अपने बयानों में स्पष्टतः इस तथ्य से इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने अभियुक्त ईश्वरलाल उर्फ कारू से कोई तलवार बरामद की हो परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में परीक्षित जाप्ते के साक्षीगण ने अपने बयानों में अभियुक्त से तलवार जप्त होने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि गवाह सीताबाई अभियुक्त की पत्नी है। पत्रावली के अवलोकन से भी यह तथ्य आया है कि प्रकरण में फर्द जप्ती के गवाह पी.ड. 2 सीता, अभियुक्त की पत्नी और गवाह पी.ड. 6 किशनलाल, अभियुक्त की पत्नी का भाई है। ऐसे में उक्त दोनों ही फर्द जप्ती के साक्षीगण अभियुक्त के रिश्तेदार हैं। स्वयं सीता अभियुक्त की पत्नी है, ऐसे में उक्त दोनों साक्षीगण का अभियुक्त के पक्ष में बयान देना स्वाभाविक है। केवल मात्र इस तथ्य से कि उक्त दोनों साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुये हैं और फर्द जप्ती को पुष्ट नहीं किया है, अभियुक्त ईश्वरलाल के सचेतन कब्जे से बरामद तलवार पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है और मात्र उक्त गवाहों के पक्षद्रोही होने से ही सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को दूषित होना नहीं माना जा सकता है।

17– अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस कर्मचारीगण की कोई आमद रवानगी रोजनामचा रपट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे भी अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर प्रदर्श पी–5 के रूप में रोजनामचा विवरण दिनांक 27.01.2023 समय 6.09 पी.एम. का प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें यह तथ्य अंकित है कि *जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि बावड़ीखेड़ा मोगजीकुड़ी में एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार ले आने–जाने वाले राहगीरों को डरा–धमका भय पैदा कर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई–झगड़ा कर मारपीट कर रहा है, जिस पर अमृतलाल, ए.एस.आई. मय जाप्ता गोमसिंह व मनोज के मौके के लिए रवाना हुये*। उक्त रोजनामचा रपट से भी न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है और स्वयं अभियुक्त की पत्नी पी.ड. 2 सीताबाई ने यह कथन किया है कि उसका पति ईश्वर शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा करता था और पुलिस उसको पकड़कर ले गई थी। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

18– इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में फर्द जप्ती और तहरीरी रिपोर्ट टाईपशुदा है, जिससे उक्त फर्दात् को मौके पर नहीं बनाया गया था, जिससे भी

अभियोजन कहानी संदेह की परिधि में आती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में केवल मात्र फर्द जप्ती व तहरीरी रिपोर्ट के टाईपशुदा होने का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ता है क्योंकि अधिवक्ता अभियुक्त ने ऐसा कोई सुझाव अभियोजन साक्षियों को नहीं दिया है कि उक्त फर्दें मौके पर नहीं बनाई गई हो। केवल मात्र बहस अंतिम के स्तर पर उक्त तर्क प्रस्तुत किये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि उक्त फर्दें मौके पर नहीं बनाई जाकर थाने पर बनाई हो, अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क भी मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी कथन रहा है कि प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 पर नमुना सील का अंकन नहीं है। इस संबंध में भी यह उल्लेखनीय है कि केवल मात्र नमुना सील नहीं होने से ही सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता और इस संबंध में भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी अमृतलाल को कोई सुझाव नहीं दिया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में मालखाना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–8 के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है और प्रकरण के मालखाने का विचारण के दौरान ही निस्तारण का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिस पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, अतः ऐसी स्थिति में मालखाना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने का भी कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ता है।

19– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता सन्देह से परे साबित करना होता है। इस सम्बन्ध में प्रकरण में जो साक्ष्य आयी है वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करती है। अतः आरोपित अपराध में अभियुक्त के लिप्तता संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष न्यायालय का विश्वास आकृष्ट करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त ईश्वरलाल उर्फ कारू को अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

20– परिणामस्वरूप अभियुक्त ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा, तत्समय उम्र–36 साल, निवासी–मोगजीकुड़ी, पुलिस थाना–धमोतर, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को अंतर्गत **धारा 4/25 आयुध अधिनियम** के अपराध में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)

–सजा के प्रश्न पर–

21– सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है, कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, जिस पर अपने सम्पूर्ण परिवार का दारोमदार है। विगत करीब 03 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

22– अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का विरोध किया तथा अभियुक्त को विधि अनुसार उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2023 से लम्बित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व आरोपित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को तत्काल दण्ड से दण्डित करने की अपेक्षा परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

24– अतः अभियुक्त ईश्वरलाल उर्फ कारू पिता हीरा, तत्समय उम्र–36 साल, निवासी–मोगजीकुड़ी, पुलिस थाना–धमोतर, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को अंतर्गत **धारा 4/25 आयुध अधिनियम** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किए जाने पर **धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ** दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचरण का बंध पत्र राशि 10,000/– रूपये तथा इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे, कि उक्त अवधि में वह सदाचारी रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिये उपस्थित रहेगा। साथ ही **धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम** के तहत अभियुक्त **500/– रूपये अभियोजन व्यय** स्वरूप जमा कराए, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

25– अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् अभियुक्त को धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् राशि 10,000–10,000/– रूपये के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील नहीं होने की स्थिति में उक्त जमानत–मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावें।

26– प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना तलवार के निस्तारण बाबत् पूर्व में दिनांक 24.04.2026 को आदेश पारित किया जा चुका है।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)

27– निर्णय व आदेश आज दिनांक **11.08.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by ROHIT SHARMA
Date: 2026.08.13 10:15:33 +0530

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)